आदेश की क्रम सं0 और तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह। (Email id :- dccourt.grd@gmail.com) अतिक्रमण अपील वाद सं0–13/2007 बंगाली एसोसिएशन –बनाम– राज्य	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3
18.12.2020	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। यह अपीलवाद बंगाली एसोशिएसन के सचिव उज्जवल घोष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के W.P.(C) No.-6581/2006 में दिनांक 07.08.2007 को पारित न्यायादेश के आलोक दायर किया गया है, जिसके तहत् न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गिरिडीह द्वारा वाद सं0–01/2004 में पारित आदेश दिनांक 17.01.2004 के विरूद्ध अपील हेतु सक्षम प्राधिकार उपायुक्त–सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में वाद स्वीकृत करते हुए कार्रवाई प्रारंभ की गई एवं सुनवाई की विविध तिथियों में उभय पक्षों को सुना गया। वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है:–"बंगाली बालिका मध्य विद्यालय, मकतपुर की चल एवं अचल संपत्ति का दिनांक 01.04.1974 से राजकीयकृत होने के कारण विज्ञ अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गिरिडीह द्वारा दिनांक 17.01.2004 को आदेश पारित कर उज्जवल कुमार घोष, सचिव को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण/कब्जा किए गए स्कूल परिसर में स्थित रवीन्द्र ग्रन्थागार को खाली करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील दायर किया है।" **अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया है :–** 1. यह कि, रवीन्द्र ग्रन्थागार एक पब्लिक लाइब्रेरी है, जो बंगाली एसोसिएशन, गिरिडीह के अधिन कार्यान्वित है एवं Bihar Societies Registratioin Act, 1960 के अन्तर्गत निबंधित है, जिसके सचिव उज्जवल घोष है। 2. यह कि, मो0 नाजीर हुसैन द्वारा दान स्वरूप प्राप्त उक्त भूमि पर लगभग 100 वर्ष पूर्व बंगाली एसोसिएशन की स्थापना की गई। उक्त एसोसिएशन द्वारा उसपर एक कमरे का निर्माण कर पब्लिक लाइब्रेरी खोला गया, जो रविन्द्र ग्रन्थागार के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात् उपरोक्त जमीन पर बंगाली बालिका स्कूल की स्थापना उक्त सोसाइटी द्वारा की गई। 3. यह कि, रवीन्द्र ग्रन्थागार एक पब्लिक लाइब्रेरी है एवं बंगाली एसोसिएशन, गिरिडीह की परिसम्पत्ति है, जो गवर्नमेंट प्रेमिसेज के अन्तर्गत नहीं आता है। 4. यह कि, माननीय सिवील न्यायालय में Title Suit No.-95 of 2017 विचाराधीन है। 5. यह कि, इस अपील को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने की कृपा की जाय। **उक्त वाद में विज्ञ अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गिरिडीह द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.01.2004 द्वारा निम्न तथ्यों को प्रतिवेदित किया गया है :–** 1. यह कि, वाद सं0–09/2003, क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी –बनाम– डा0बी0बी0 सरकार एवं अन्य में उपलब्ध कागजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजकीयकृत बंगाली बालिका मध्य विद्यालय, मकतपुर, गिरिडीह की चल–अचल संपत्ति दिनांक 01.04.1974 से राजकीयकृत हो चुकी है। 2. यह कि, अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई भी कागजात/सबूत न्यायालय पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि रवीन्द्र ग्रन्थागार गवर्नमेंट प्रमिसेज के	

अन्तर्गत नहीं आता हो।

3. यह कि, बंगाली बालिका मध्य विद्यालय, मकतपुर की चल एवं अचल संपत्ति दिनांक 01.04.1974 से राजकीयकृत हो चुकी है, जिसे उज्जवल कुमार घोष अनाधिकृत रूप से गवर्नमेंट प्रमिसेज को अतिक्रमण/कब्जा किए हुए है। अतएव इसे खाली कराना नितांत आवश्यक प्रतीत होता है।

उक्त के आलोक में दिनांक 19.01.2004 तक उक्त सरकारी ग्रन्थागार/प्रेमिसेज को खाली करने हेतु अपीलार्थी को निदेशित किया गया।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, गिरिडीह का यह अभिकथन है, कि जब भी किसी शैक्षणिक संस्था का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि उसके परिसम्पत्तियों यथा लाइब्रेरी, लेब्रोटेरी, फर्नीचर, टूल्स इत्यादि का अधिग्रहण नहीं हुआ हो, बल्कि स्कूल के अधिग्रहण में स्कूल की सारी परिसंपत्तियां उसमें समाहित हो जाती है। अतः विज्ञ अनुमण्डल दण्डाधिकारी, द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत है।

–: विचारण व निर्णय :–

अपीलार्थी एवं विज्ञ सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क तथा अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य स्पष्ट होता है :–

1. यह कि, दिनांक 01.04.1974 से बंगाली बालिका मध्य विद्यालय, मकतपुर की चल एवं अचल संपत्ति राजकीयकृत हो चुकी है एवं इस प्रकार बंगाली एसोसिएशन से उक्त स्कूल एवं उसी परिसर में स्थित रवीन्द्र ग्रन्थागार तथा सभी परिसंपत्तियां सरकार के अधीन आ गई।
2. यह कि, अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई भी कागजात/सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि रवीन्द्र ग्रन्थागार गवर्नमेंट प्रमिसेज के अन्तर्गत नहीं है।
6. यह कि, अपीलर्थी द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि इस वाद से संबंधित Title Suit No.-95 of 2017 माननीय सिवील न्यायालय में विचाराधीन है, परन्तु काई Stay या Status Quo संबंधी आदेश उनके द्वारा इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।
3. यह कि, जब भी किसी शैक्षणिक संस्था का अधिग्रहण सरकार द्वारा किया जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि उसके परिसम्पत्तियों यथा लाइब्रेरी, लेब्रोटेरी, फर्नीचर, टूल्स इत्यादि का अधिग्रहण नहीं हुआ हो, बल्कि स्कूल के अधिग्रहण में स्कूल की सारी परिसंपत्तियां उसमें समाहित हो जाती है।
4. यह कि, विज्ञ अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकन व विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, गिरिडीह के मंतव्य से संतुष्ट होते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारीज किया जाता है एवं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.01.2004 को यथावत रखा जाता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

संबंधित पक्ष को आदेश से अवगत कराते हुए LCR निम्न न्यायालय भेजें।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2021.12.28 20:29:42 +05:30
Location: 192.168.53.138

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।